

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/27

दायर दिनांक 24/01/23

उनयान:- सीताराम बनाम राजस्थान सरकार जर्ज तहसीलदार पिड़ावा
धारा 138 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 24/01/2023

प्रार्थी सीताराम पिता रामसिंह जाति दांगी नि० गरदनखेडी तहसील पिड़ावा के प्रकरण मे ग्राम गरदनखेडी तहसील पिड़ावा जिला झालावाड़ के तरमीम दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हत्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पिड़ावा की अनुशसा के आधार पर के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के अनुसरण में ग्राम गरदनखेडी पटवार मण्डल डोला तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नम्बर 1016/84, 561, 1017/96, 1018/155, 1021/763 व 1022/792 की वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम गरदनखेडी पटवार मण्डल डोला तहसील पिड़ावा	1016/84, 561, 1017/96, 1018/155, 1021/763, 1022/792	तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार	तहसीलदार पिड़ावा द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-3

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

दिनांक 24/01/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/27
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार पिड़ावा को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

